<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>12.04.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने रुपये 230.6 करोड़ (भू-खण्ड और एक फ्लैट) मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है जो किसी प्रसन्न कुमार रॉय और शांति प्रसाद सिन्हा के नाम पर और उनके द्वारा नियंत्रित विभिन्न कंपनियों/एलएलपी के नाम पर ली गई हैं। कुर्क भू-खण्ड में प्रसन्न कुमार रॉय के नाम पर पाथरघाटा में लगभग 96 कट्ठा, सुल्तानपुर में लगभग 117 कट्ठा, महेश्ताला में लगभग 282 कट्ठा और न्यू टाउन में 136 कट्ठा शामिल हैं। शांति प्रसाद सिन्हा के नाम पर कुर्क की गई संपत्तियों में बंगाल अंबुजा हाउसिंग, पुरबा जादबपुर, कोलकाता में स्थित एक बेनामी फ्लैट और कपाशती में स्थित दो भू-खण्ड शामिल हैं।

ईडी ने कक्षा IX-X और कक्षा XI-XII में सहायक शिक्षक की कथित अवैध नियुक्ति के मामले में भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज दो प्राथमिकियों (एफआईआर) के आधार पर जाँच शुरू की। आरोप में अयोग्य, गैर-सूचीबद्ध और निम्न रैंक वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश करना और योग्य और वास्तविक उम्मीदवारों को वंचित करना, निष्पक्षता बरकरार रखे बिना विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आपराधिक षड़यंत्र रचना और संबंधित नियमों का उल्लंघन कर नियुक्ति करना शामिल है। इसके अलावा, सीबीआई के आरोप पत्रों से पता चला कि डब्लूबीसीएसएससी के अधिकारियों द्वारा अन्य के साथ मिलकर रचे गए आपराधिक षड़यंत्र में कुल 2081 (कक्षा IX-X के लिए 1135 और कक्षा XI-XII के लिए 946) उम्मीदवारों को सहायक शिक्षकों के पद के लिए अवैध रूप से नियुक्त/अनुशंसित किया गया था।

ईडी ने पहले पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) में सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रसन्न कुमार रॉय (उम्मीदवारों से धन और विवरण के कथित संग्रह में शामिल मुख्य बिचौलिया) और शांति प्रसाद सिन्हा [डब्ल्यूबीसीएसएससी के तत्कालीन सलाहकार] को गिरफ्तार किया है, और दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के एक अन्य मामले में, ईडी पहले ही रुपये 135 करोड़ की संपत्ति कुर्क/जब्त कर चुकी है।

पश्चिम बंगाल राज्य में शिक्षक भर्ती घोटालों में अब तक हुई कुल कुर्की/जब्ती का मूल्य रुपये 365.60 करोड़ है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।